


15/1/24

वकील उभयपक्ष उपाय वकील उभयपक्ष ने कथन किया कि उभयपक्ष में राजीनामा हो गया है। उभयपक्ष दोनों ही विभाजन प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं। प्रकरण को अधीन न्यायालय में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कराते हुये प्रकरण को अधीन न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रां का अवलोकन किया। उभयपक्ष विभाजन प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं। एवं दोनों पक्षों ने प्रकरण को अधीन न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का राजीनामा प्रस्तुत किया है। दोनों अभिभाषकों के हस्ताक्षर कराये गये। अतः आदेश है कि प्रकरण राजी स्वरुप अधीन न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि तत्कालीन स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में प्रकरण में पक्षकारों की सहमति


31/07/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजेश ओमप्रकाश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p> अनुसार विवादित आराजी में से अच्छी में अच्छी एवं पूरी में से पूरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुये एवं अर्थात् न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर उभयपक्षकारण की सुनवाई / आपत्ति की अवस्था देते हुये पुनः विधि- सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारण की की निर्देशित क्रिया लागू है के अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19/2/24 को वास्तु सुनवाई उपस्थित होंगे। पत्रांक 10/सल शुभार की जाकर नंबर से काम की जावे। वाफ लाबता दाखिल पत्र है। निर्णय खुले न्यायालय में हुनामा गया। </p>	

राजस्व अधिकारी
 राजस्व अधिकारी प्राधिकारी
 राजस्व अधिकारी प्राधिकारी